राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–6)

कमांक एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014 जयपुर, दिनांक 17.02.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15–16 फरवरी, 2016 (मंगलवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिलों के परियोजना अधिकारी (अभि.) एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) के साथ की गई। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में द्वितीय किश्त रिलीज की जा चुकी है, जिससे योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि मे वृद्धि हो गयी है। योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में से वित्तीय वर्ष में कम से कम 85 प्रतिशत राशि व्यय करने के उद्धेश्य से निम्नानुसार कार्यवाही की जावेंः–

   I. माननीय विधायकों द्वारा जारी अनुशंषाओं के विरूद्ध कार्यों की प्रशासनिक स्वी. तक. स्वीकति तत्परता से जारी की जावें।
   II. जारी वित्तीय स्वीकृतियां संबंधित कार्यकारी एजेन्सीयों (ग्राम पंचायत/लाईन विभागों) को ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जावें।
   III. कार्यकारी एजेन्सीयों द्वारा स्वीकृत कार्यों की प्रथम किश्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाते है। स्वीकृत कार्यों पर जारी होने वाली प्रथम किश्त की राशि का अन्तरण संबंधित कार्यकारी एजेन्सीयों के खातें में तीव्र गति से सुनिश्चित किये जाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से राशि का अन्तरण किया जावें।
   IV. कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होने से 8 दिवस मे कार्य को प्रारम्भ किया जावें। इस हेतु तकनीकी अधिकारी/कार्मिक संबंधित कार्यकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत/अन्य) को अविलम्ब कार्य का तकमीना, कार्य स्थल पर लेआऊट एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुये कार्य प्रारम्भ करावें।
   V. योजना की प्रगति IWMS पर अपलोड़ की जावें तथा उक्तानुसार कार्यवाही की जावें, जिससे योजनान्तर्गत लक्ष्यानुसार व्यय किया जा सके।

2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रगति अर्जित करने के कम में बिन्दु संख्या–1 के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
3. 14वीं लोकसभा एवं पूर्व राज्यसभा सदस्यों के योजनान्तर्गत खुले खातों को इसी माह बन्द करते हुये सूचना प्रेषित की जावें।

4. योजना की नवीन वैबसाईट mplads.nic.inपर योजना की प्रगति नियमित रूप से डाली जावे। दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से योजना की एमपीआर भारत सरकार को इसी वेबसाईट के द्वारा नियमित रूप से भेजी जावें।
5. सांसद आदर्श ग्राम योजना में जिन जिलों ने चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों की प्रगति पंचायत दर्पण में अपलोड़ नहीं की है वे जिलें 1 सप्ताह के अंतर्गत सूचना अपलोड़ कर, सूचित करें।
6. सांसद आदर्श ग्राम योजना में वीडीपी के अनुरूप कार्यों की स्वीकृतियां जारी कराई जावें। योजनान्तर्गत नियमित मासिक बैठकों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। नियमित रूप से मासिक बैठकें आयोजित की जावें।
7. एसएजीवाई/एमएजीपीवाई में चयनित ग्राम पंचायतों में मूलभूत अवसंरचनाओं के विकास हेतु जारी परिसम्पत्ति निर्माण निधि की राशि को महात्मा गांधी नरेगा से कन्वर्जेन्स करते हुये स्वीकृतियां जारी की जावें एवं राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी–।)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
5. परियोजना निर्देशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मो एवं मू, ग्राविवि।
6. परियोजना निदेशक (एसएपी–।।)
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूंल
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी–।)